सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

**पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)**

वाद संख्याः– 129 / प्रा0पत्र / 2022 दायरा दिनांक :–22.06.2022

GCMS ID–2022 / 166

1. रेवतीरमण आ0 प्रभुलाल जाति ब्राह्मण निवासी ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रार्थी

बनाम

1. गणेश आ0 प्रभुलाल जाति ब्राह्मण निवासी ठीकरदा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. मनोज आ0 प्रभुलाल जाति ब्राह्मण निवासी ठीकरदा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. योगराज आ0 प्रभुलाल जाति ब्राह्मण निवासी ठीकरदा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. राधेश्याम आ0 प्रभुलाल जाति ब्राह्मण निवासी ठीकरदा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. सुरेश आ0 प्रभुलाल जाति ब्राह्मण निवासी ठीकरदा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
6. लाडबाई उर्फ मन्जूबाई पुत्री प्रभुलाल पत्नी श्री किशनगोपाल जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0
7. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :– श्री विजय कुमार माहेश्वरी
वकील अप्रार्थी :– श्री रमेशचंद वर्मा

दिनांक :– 11 / 06 / 2025

## निर्णय

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि ग्राम ठीकरदा पटवार मण्डल ठीकरदा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में खाता संख्या 331 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1063 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, खसरा संख्या 0.3561 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1069 रकबा 0.2023 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0. 8821 हैक्टेयर विस्थित है जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में कन्याबाई पत्नी पत्नी प्रभुलाल, गणेश, बद्रीलाल, मनोज, योगराज, रमेश, राधेश्याम, लाडबाई, सुरेश पिसरान प्रभुलाल जाति ब्राह्मण हिस्सा 1 / 9–1 / 9 दर्ज है। खातेदार कन्याबाई पत्नी प्रभुलाल व खातेदार रमेश आ0 प्रभुलाल की लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है। खातेदार कन्या बाई व रमेश के वारिसान प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 ही है, इस कारण उक्त भूमियों में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 प्रत्येक का 1 / 7–1 / 7 हिस्सा निहित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमिया प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 में वर्णित भूमिया प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

पैतृक स्वामित्व की भूमिया है जो पूर्व में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पिता प्रभुलाल के स्वामित्व की थी। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगातय 6 के पिता प्रभूलाल की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियो के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता प्रभुलाल की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि कन्या बाई पत्नी प्रभुलाल,गणेश पुत्र प्रभुलाल, बद्रीलाल आ0 प्रभुलाल, मनोज आ0 प्रभुलाल, योगराज आ0 प्रभुलाल, रमेश आ0 प्रभुलाल, राधेश्याम आ0 प्रभुलाल, लाडबाई पुत्री प्रभुलाल, सुरेश आ0 प्रभुलाल के नाम दर्ज कर दी गई जबकि प्रार्थी के पिता प्रभूलाल के बद्रीलाल नाम का कोई पुत्र नहीं है। प्रभुलाल के पुत्री का नाम गणेश, रेवतीरमण, मनोज, योजगराज, रमेश़, राधेश्याम व सुरेश है। प्रार्थी रेवतीरमण के ~~सीमि~~ स्थान पर राजस्व अधिकारियों ने प्रभुलाल के पुत्र के रूप में भूलवश प्रार्थी के नाम की जगह बद्रीलाल अंकित कर दिया है जो कि एक लिपिकीय त्रुटि है। प्रार्थी का राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक व ग्राम जयनिवास पटवार मण्डल ठीकरदा में विरिथत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रेवतीरमण ही दर्ज है। अब तक प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों का रख रखाव व कृषि व्यवस्था का सम्पूर्ण कार्य प्रार्थी के अन्य भाई ही करते थे इस कारण प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गलत अंकित होने की कोई जानकारी नहीं हो सकी। प्रार्थी के हिस्से स्वामित्व की उक्त भूमियों में प्रार्थी का नाम सहवन से बद्रीलाल दर्ज कर दिया गया है। ब्रदीलाल नाम को कोई व्यक्ति प्रार्थी के पिता प्रभुलाल का पुत्र नहीं है। उक्त बद्रीलाल नाम उक्त भूमियों के खाते में अंकित होना लिपिकीय भूल है जिसे दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी रेवतीरमण का नाम अंकित किया जाना आवश्यक है। अब तक प्रार्थी को उक्त गलत इन्द्राज का ज्ञान नहीं होने से प्रार्थी आवेदन पेश नहीं कर सका। जानकारी होते ही प्रार्थी ने राजस्व केम्प ग्राम ठीकरदा 2022 में भी उक्त इन्द्राजात को दुरूस्त करने की प्रार्थना राजस्व कर्मचारियों से की तो उन्होंने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की बात कही, इस कारण प्रार्थी श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क व तलबाने के साथ पेश है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम ठीकरदा पटवार मण्डल ठीकरदा तह0 हिण्डोली जिला बून्दी में खाता संख्या 331 की कृषि भूमि खसरा संख्या 1063 रकबा 0.3237 हैक्टेयर, खसरा संख्या 0.3561 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1069 रकबा 0.2023 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.8821 हैक्टेयर 0.3237 हैक्टयर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज बद्रीलाल आ0 प्रभुलाल के स्थान पर रेवतीरमण आ0 प्रभुलाल का नाम अंकित किए जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 की ओर से जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 8 स्वीकार कर कथन किया की प्रार्थना पत्र की चरण सं0 1 में अंकित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज बद्रीलाल आ0 प्रभुलाल के इन्द्राज को दुरूस्त कर रेवतीरमण आ0 प्रभुलाल दर्ज किये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जावे।

प्रकरण में नायब तहसीलदार दबलाना के पत्रांक :– राजस्व/24/795 दिनांक :–20.05.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम ठीकरदा के खाता संख्या 321 में दर्ज प्रार्थी का नाम बद्रीलाल आ0 प्रभुलाल दर्ज रिकॉर्ड है। मजमा–ए–आम में प्राप्त.जानकारी व ग्रामवासियों को उक्त खाता नम्बर में दर्ज बद्रीलाल आ0 प्रभुलाल व रेवतीरमण पुत्र प्रभुलाल एक ही व्यक्ति के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज बद्रीलाल आ0 प्रभुलाल के स्थान पर प्रार्थी का सही नाम रेवतीरमण पुत्र प्रभुलाल दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी का उक्त नाम विरासत के इंतकाल से दर्ज हुआ है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम रेवतीरमण पुत्र प्रभुलाल है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि ''भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।''

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, बैंक खाता डायरी, परिवार राशन कार्ड, जन–आधार कार्ड व जमाबंदी खाता सं0 47 ग्राम जयनिवास पेश किए है जिसमें प्रार्थी का नाम रेवतीरमण दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम ठीकरदा पटवार मण्डल ठीकरदा के खाता संख्या 331 में दर्ज बद्रीलाल पुत्र प्रभु के स्थान प्रार्थी का सही नाम रेवतीरमण पुत्र प्रभुलाल शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 11.06.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

11/06/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी,
हिण्डोली